न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लूणी

पीठासीन अधिकारी :- पुखराज कासौटिया, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद सं. :-

वादीगण :-

1. जबरसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. परबतसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
3. मोतीसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. केसरसिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
5. नरपतसिंहपुत्र स्व. श्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
6. मृतक रामसिंह पुत्र श्री रावतसिंह के कायम मुकामान् (वादी सं. 1 से 5 पूर्व से रेकर्ड पर है) :-

   6/1 श्रीमती भंवर कंवर पत्नी स्व रामसिंह जी,

   6/2 श्रीमती पुष्पा कंवर पुत्री स्व. रामसिंह जी,

   जातियान राजपूत निवासीयान् ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :-

1. सगतसिंह पुत्र स्व. श्री भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. मृतक भीमसिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह के कायम मुकामान् :-
3. मंगलसिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. मदनसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. करण सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. अनोपसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

7. गजेसिंह पुत्र स्व. उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

8. श्याम सिंह पुत्र स्व. उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

9. सरदार सिंह पुत्र स्व. उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

10. दलपतसिंह पुत्र स्व. आनन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

11. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. आनन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

12. लाल सिंह पुत्र स्व. आनन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

13. रतनसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

14. माधु पुत्र स्व. किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

15. सुमेरसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लूणी जिला जोधपुर।

उपस्थिति :-

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा,

प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री नवरतनदान चारण

प्रतिवादी सं. 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 07/01/2025

यह वाद वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इन तथ्या के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण 1 से 5 के पिता वादी सं. 6 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 के पिता एवं दादा स्वयं. भोपालसिंह के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नं. 701 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 702 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 719 रकबा 72 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 724 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 725 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 726 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

खसरा नं. 916 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 993 रकबा 55 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 994 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 999 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 1000 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 1001 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 1002 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 1003 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 1004 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1028 रकबा 14 बिघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1029 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1032 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 1033 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 1038 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1307 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1308 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 908/1 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 1310 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1311 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1312 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 1316 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 1317 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरान् 29 कुल रकबा 780 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो सरहद मौजा गांव धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे स्थित है। वादपत्र मे वादीगण द्वारा स्व. रावतसिंह का सजरा प्रस्तुत किया गया है जिसमे रावतसिंह के दो पुत्र भोपालसिंह (फौत) तथा रामसिंह को दर्शाया गया है तथा भोपालसिंह तथा रामसिंह के वंशजो को दर्शाया गया है। आगे वादीगण द्वारा यह अभिलिखित किया गया कि उक्त भूमियां पैतृक सम्पति है तथा भूमि मे 1/2 भाग के कानूनीया मालिक भोपाल सिंह तथा 1/2 भाग के कानूनीया मालिक वादी सं. 6 है। स्व. रावतसिंह के देहान्त के बाद उक्त भूमियां वादी सं. 6 तथा भोपालसिंह के बराबर भाग हिस्से मे संयुक्त रूप से खातेदारी मे दर्ज हो गयी एवं उसके अनुसार वह आधे-आधे हिस्से पर काबिज हो गये। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड देखने पर पता चला कि वादी सं. 6 का नाम राजस्व रेकर्ड म नही है तथा वादी सं. 6 के पुत्रान् वादी सं. 1 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा यह उल्लेख है कि वादी सं. 6 ने अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा करके वादी सं. 1 से 5 को दे दिया। आगे लिखा कि वादी सं. 6 के जीवित रहते वादी सं. 6 अपनी भू का बंट, हिस्सा करके अपने पुत्रान के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही करवा सकता है। राजस्व रेकर्ड देखने पर यह भी पता चला कि वादी सं. 6 के बंट की कुल भूमि 390 बीघा 2 बिस्वा है जबकि वादी सं. 6 के पुत्रान् के नाम मात्र 198 बीघा 3 बिस्वा भूमि ही दर्ज है तथा वादी सं. 6 को जमीन से बिल्कुल वंचित कर दिया। वादीगण के हिस्से की कुल रकबा 192 बीघा जमीन को प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 ने गलत एवं कानूनी तरीके से फर्जी एवं अवैध बंटवाडा बताकर राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम करवा लिया जो बंटवाडा वैध नही होने से अवैध एवं शून्य है। ऐसा बंटवाडा वादीगण की तरफ से नही किया गया है। जिस तथाकथित पूर्व के बंटवाडा को वादीगण निरस्त करवाने के अधिकारी है जिस हेतु यह वाद पेश किया गया है तथा वादी सं. 6 अपने हिस्से की सम्पूर्ण जमीन की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पेश है तथा वादीगण प्रत्येक खसरे की जमीन मे वादी सं. 6 का 1/2 भाग अनुसार आधे-आधे भाग मे बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने हेतु बंटवाडा का वाद पेश किया गया है। दिनांक 20.09.2007 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

तिरिक्त तनकी सं. 1 से 3

अतिरिक्त तनकी सं. 1 से 3 आपस मे परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने के कारण थ्यो की पुनरावृति से बचने के लिए इनका एक साथ निष्कर्ष निकाला जा रहा है।

इन तनकियात को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है जिसमे प्रतिवादीगण को यह सिद्ध करना है कि वादी सं. 6 जरिये पंजीबद्ध गोदनामे के शिवनाथसिंह के गोद गया था जिस कारण वादीगण स्व. रावतसिंह के वंश वृक्ष की विवादित आराजी का बंटवाडा तथा घोषणा करवाने के अधिकारी नही है एवं वादीगण द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है इसलिए वादीगण इस वाद मे कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

इस संबंध मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श 11 के रूप मे एक पंजीबद्ध गोदनामा दिनांकित 04.05.1936 प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा वह वादी सं. 6 को शिवनाथसिंह के गोद जाने का तथ्य ला रहे है। इस संबंध मे प्रतिवादीगण के सभी गवाहान द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य मे गोद लिये जाने की बात को सुनी सुनायी होना उल्लेखित किया है। किन्तु प्रदर्श ए 11 गोदनामे की लिखत को प्रतिवादीगण द्वारा साबित किया गया है। उक्त लिखत पंजीयन कार्यालय से जारी एक प्रमाणित प्रतिलिपी है जिसकी सत्यतता की उपधारणा की जायेगी जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय से अथवा सक्षम साक्ष्य से गलत साबित नही कर दिया जावे। वादीगण द्वारा उक्त लिखत को निरस्त करवाने हेतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई है। किन्तु यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वादी सं. 6 के बाबत् वादग्रस्त भूमियो के राजस्व रेकर्ड मे रावतसिंह का पुत्र ही दर्शाया गया है तथा सरपंच, उपसरपंच व अन्य पदो पर भी वह रावतसिंह के पुत्र की हैसियत से ही चुना गया था। जिसकी स्वीकारोक्ति स्वयं डी डब्लू 1 द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण वादी सं. 6 को शिवनाथसिंह के गोद जाने के तथ्य को पूर्णतः सिद्ध करने मे असफल रहे है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त तीनो तनकियात प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अतिरिक्त तनकी सं. 6

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है जिसमे उन्हे यह साबित करना है कि विवादित भूमि की कीमतो मे अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण वादीगण ने बदनियति से यह वाद पेश किया है। इस संबंध मे वादीगण अपनी तनकी सं. 1 व 2 को सिद्ध करने मे पूर्णतः असफल रहे है जबकि प्रतिवादीगण अतिरिक्त तनकी सं. 4 व 5 को सिद्ध करने मे सफल रहे है। जिन सभी तनकियात के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमियो के संबंध मे पूर्व मे 1971 मे वादग्रस्त भूमियो के विभाजन के बाबत् दर्ज नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद एवं उपरोक्तानुसार मौके पर एक्ट अपॉन हो जाने के बावजूद सन् 2006 मे इसकी जानकारी होना बताते हुए यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिन तथ्यो को साबित करने मे वादीगण पूर्णतः असफल रहे है। जिससे यह सिद्ध है कि वादीगण द्वारा मात्र वादग्रस्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भूमियो की कीमते बढ जाने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण तनकी सं. 1 से 3 को अपने पक्ष मे सिद्ध करने मे पूर्णतः असफल रहे है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त तनकी सं. 4 से 6 को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष मे सिद्ध किया है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण वादग्रस्त भूमियो मे स्वयं का 1/2 हिस्सा घोषित करवाने एवं तदनुसार वादग्रस्त भूमियो का बंटवाडा करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति मे वादीगण का यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

यह आदेश आज दिनांक 07/01/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 97 / 2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
...बरसिह पुत्र स्व0 श्री रामसिह ...ति राजपूत निवासी ग्राम धवा ...सील लूणी जोधपुर ...ेष वादीगण संख्या 2 से 6/2		01,सगतसिह पुत्र स्व0 श्री भोपालसिह राजपूत निवासी ग्राम धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर 02. शेष वादीगण संख्या 2 से 15 तक 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

...वा अंतर्गत धारा 8853,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 97/2009 यह आज ...कदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण ...नजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण वादग्रस्त भूमियो मे ...य 1/2 हिस्सा घोषित करवाने एव तदनुसार वादग्रस्त भूमियो का बंटवाडा करवाने एव स्थायी निषेधाज्ञा ...प्त करने के अधिकारी नही है ऐसी स्थिति मे वादीगण का यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व चलने योग्य ...ही होने से खारिज किया जाता है।

.............................मुबलिक..............................बाबत...............................खर्चा इस मुकुदमें के मय ...ज..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................. ...द व वगैरह...
..............................को अदा करें।

...सील मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 07/01/2025 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

...द्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	–	–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी